रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

**PART I—Section 1**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 1972/श्रावण 20, 1894

**No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 1972/SRAVANA 20, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### PUBLIC NOTICE

### IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 11th August 1972*

SUBJECT.—*Import of spare parts by industries located in Kandla Free Trade Zone. (Amendment No. 15).*

**No. 115-ITC(PN)/72.**—Under the existing policy, industries located in Kandla Free Trade Zone can avail of flexibility provision provided under paragraph 84 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1972-73 for utilising 10 per cent of the value of import licence (s) for raw materials and components for the import of spare parts. It has been represented that this provision is not enough to meet the requirements of spare parts by the industries operating in Kandla Free Trade Zone.

2. The matter has been considered and it has been decided that the industries in Kandla Free Trade Zone should be treated at par with the priority industries in the matter of claiming import licences for spare parts. Consequently, under pragraph 83 of Section 1, Part B of the Import Trade Control Policy for the year April, 1972-March, 1973 (Vol. II), the following sub-paragraph may be deemed to have been incorporated:—

"(x) The industries located in Kandla Free Trade Zone will be treated at par with priority industries in so far as grant of import licences for spare parts is concerned. For working out the entitlement of import of spares, the same procedure as given in paragraph 6 of Section 1 of Import Trade Control Policy for the year April, 1972—March, 1973 (Vol. I) will apply."

K. T. SATARAWALA,
Chief Controller of Imports & Exports.

**विदेश व्यापार मंत्रालय**

**आयात व्यापार नियंत्रण**

**सार्वजनिक सूचना**

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1972

**विषय**.—कान्डला स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योगों द्वारा फालतू पुर्जों का आयात (संशोधन सं० 15)।

**सं० 115-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72**.—वर्तमान नीति के अन्तर्गत, कान्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योग, आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तक, हैंड बुक 1972–73 की कंडिका 84 के अन्तर्गत ढील दी गई व्यवस्थाओं का फालतू पुर्जों के आयात के लिए कच्चे माल तथा संघटकों के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य के 10 प्रतिशत तक के उपयोग के लिए, लाभ उठा सकते हैं। इस का अभिवेदन किया गया है कि यह व्यवस्था कान्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में चालू उद्योगों द्वारा फालतू पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।

2. मामले पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंसों का दावा करने के मामले में, कान्डला स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र में स्थित उद्योग, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बराबर समझे जाने चाहिए। फलत: अप्रैल 1972—मार्च 1973 के

लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० 2) के भाग बी के खंड 1 की कंडिका 83 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-कंडिका को शामिल किया गया समझा जाए :—

"(10) जहां तक फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने का सम्बन्ध है, कान्डला स्वतन्त्र क्षेत्र में स्थित उद्योग प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बराबर माने जाएंगे। फालतू पुर्जों के आयात की हकदारी का हिसाब लगाने के लिए वही क्रियाविधि लागू होगी जो अप्रैल 1972 – मार्च 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 6 में दी गई है।

के० टी० सतारावाला,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972